

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि) सं.2053/2014 और केवि.सं.291/2014 एवं सि.वि. सं.4301-4302/2014

निर्णय की तिथि: 30 अप्रैल, 2014

भारत संघ और अन्य

..... याचीगण

द्वारा: श्री+जितेन्द्र कुमार सिंह, अधिवक्ता

बनाम

जटाशंकर

..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री ए.के.भक्त, अधिवक्ता

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा

न्या. गीता मित्तल (मौखिक)

केवि.सं.291/2014

1. केवियटकर्ता का प्रतिनिधित्व किया गया है। इसलिए, केवियट नोटिस निरस्त किया जाता है।

रि.या.(सि) सं.2053/2014

2. तत्काल रिट याचिका याचीगण द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा 9 दिसंबर, 2013 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें मू.अ संख्या 4279/2011 को अनुमति दी गई थी। तत्काल रिट याचिका को जन्म देने वाले तथ्य एक संकीर्ण दायरे के भीतर हैं। हमारे समक्ष प्रत्यर्थी को 23 नवंबर, 1988 को याचीगण के साथ आकस्मिक श्रमिक (खलासी/अर्धकुशल) के रूप में नियुक्त किया गया था; 1989 में उसे अस्थायी दर्जा दिया गया और बाद में उसकी सेवाएं नियमित कर दी गईं। हमारे समक्ष स्वीकार किये गये तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी ने 31 मई, 1999 से अपनी इयूटी पर आना बंद कर दिया था। प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि उसके एक रिश्तेदार ने 27 जून, 1999 को पटियाला पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। प्रत्यर्थी ने आगे दावा किया कि उसकी पत्नी और रिश्तेदार चंद्रिका प्रसाद ने अभ्यावेदन देकर याचीगण को इस स्थिति से अवगत कराया। हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि याचीगण की ओर से इस तथ्य पर विवाद किया गया था।

3. 3 अप्रैल, 2002 को प्रत्यर्थी को एक आरोप ज्ञापन जारी किया गया जिसमें उसके विरुद्ध निम्नलिखित आरोप पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव था:-

“मई 1999 के दौरान श्री जट्टा शंकर नीचे हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में खलासी/अर्धकुशल के रूप में कार्य करते समय उन्होंने गंभीर कदाचार/दुर्व्यवहार किया तथा अपनी इयूटी के प्रति समर्पण कायम रखने में विफल रहे तथा ऐसे कार्य में संलग्न रहे जो रेलवे कर्मचारी के लिए अनुचित हैं, क्योंकि श्री जट्टा शंकर 31.05.1999 (प्र.सं.) से अनाधिकृत रूप से

अपनी इयूटी से अनुपस्थित रहे हैं। इयूटी पर वापस लौटने के लिए समय-समय पर भेजे गए तार के बावजूद श्री जट्टा शंकर ने न तो इयूटी पर वापस लौटकर काम संभाला है और न ही आज तक इयूटी से अनुपस्थिति की सूचना दी है।

इस तरह से कार्य करके श्री जट्टा शंकर ने रेलवे सेवा (आचरण) नियम, 1966 के नियम 3(I)(ii) (iii) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।”

4. याचिकाकर्ता को पंजीकृत डाक से भेजा गया आरोपपत्र 6 अप्रैल, 2002 को बिना प्राप्त हुए इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया कि "जिस व्यक्ति को आरोपपत्र प्राप्त करना है, वह बिना सूचना के गैरमौजूद हो गया है।" कोई उम्मीद नहीं कि वह वापस आएगा, इसलिए वापस लौटाया जा रहा है। इस टिप्पणी के बावजूद, आरोपपत्र तीन स्टाफ सदस्यों की उपस्थिति में 3 मई, 2002 को प्रत्यर्थी के कार्यस्थल पर चिपकाया गया था।

5. अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने एक जांच अधिकारी नियुक्त किया, जिसने जांच कार्यवाही के संबंध में स्थायी पते पर नोटिस भी भेजा, उसे भी पूर्ववत टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया। जांच अधिकारी ने 7 अक्टूबर, 2002 और 28 अक्टूबर, 2002 को मामले को स्थगित कर दिया, जिसके लिए सुनवाई के नोटिस भी इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिए गए कि "जिस व्यक्ति को यह प्राप्त करना है वह बाहर रहता है और उसके परिवार के सदस्यों ने इसे लेने से इनकार कर दिया है, इसलिए इसे वापस कर दिया गया है"। अतः यह स्पष्ट है कि न तो प्रत्यर्थी, जो इस पते पर उपलब्ध नहीं था, को आरोप ज्ञापन दिया गया, और न ही निर्धारित तिथियों के लिए कोई अन्य नोटिस दिया गया।

यद्यपि प्रत्यर्थी के विरुद्ध यह आरोप था कि वह अनाधिकृत रूप से अपनी इयूटी पर से अनुपस्थित था, फिर भी याचीगण ने उसके कार्यस्थल पर आरोप जापन चिपका दिया।

इस स्थिति के बावजूद, जांच अधिकारी ने मामले में एकपक्षीय कार्यवाही की और 2 नवम्बर, 2002 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही साबित हुए।

6. यह उल्लेखनीय है कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट जो 16 जनवरी, 2003 को प्रत्यर्थी के स्थायी पते पर पंजीकृत डाक से भेजी गई थी, वह भी पूर्ववत टिप्पणी के साथ बिना प्राप्त हुए वापस आ गई। प्रत्यर्थी ने पुनः 4 फरवरी, 2003 को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रत्यर्थी के कार्यस्थल पर नोटिस बोर्ड पर चिपका दी। जांच अधिकारी की सिफारिशों को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिसके तहत 16 अप्रैल, 2003 को एक आदेश पारित किया गया, जिसके तहत प्रत्यर्थी पर तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाने का दंड भी लगाया गया।

7. दिनांक 9 दिसम्बर, 2013 के आदेश में उल्लेखित तथ्यात्मक विवरण से पता चलता है कि दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 के पत्र के माध्यम से जांच अधिकारी ने चौकी इंचार्ज, अर्बन एस्टेट चौकी, पटियाला से जांच की थी, जिसमें चांदनी प्रसाद द्वारा 27 जून, 1999 को प्रत्यर्थी के संबंध में डायरी संख्या एस-18, पुलिस स्टेशन अर्बन एस्टेट , पटियाला के विरुद्ध दर्ज की गई प्राथमिकी की

स्थिति के बारे में पूछा गया था। जांच अधिकारी को पुलिस प्राधिकारी द्वारा 23 दिसम्बर, 2004 तथा 27 दिसम्बर, 2004 को सूचित किया गया कि प्रत्यर्थी का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

8. अधिकरण ने उल्लेख किया है कि इन पत्र-व्यवहार के बावजूद जो जांच अधिकारी के अभिलेख पर थे और अनुशासनात्मक प्राधिकरण के समक्ष भी रखे गए थे, उन्होंने मनमाने ढंग से निष्कर्ष निकाला कि आवेदक की अनुपस्थिति अनधिकृत थी। वे निश्चित तौर पर जानते थे कि प्रत्यर्थी के 1 मई, 1999 से लापता होने की प्राथमिकी उनके समक्ष थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था।

9. प्रत्यर्थी को अंततः 22 अप्रैल, 2006 को श्री राम शंकर नामक एक परिचित ने अयोध्या के एक आश्रम में पागलों जैसी हालत में खोज निकाला। प्रत्यर्थी की पत्नी उसे पटियाला के संबंधित पुलिस स्टेशन ले गई। प्रत्यर्थी ने 27 अप्रैल, 2006 को याचीगण को एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया कि उसे पुनः नियुक्त किया जाए तथा उसे चिकित्सा उपचार दिया जाए।

10. अधिकरण ने उल्लेख किया है कि प्रत्यर्थी को मानसिक समस्या/विकार के लिए चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया गया था तथा इस संबंध में 18 जून, 2006 से 27 फरवरी, 2011 तक कई विस्तृत प्रिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। इन प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार, प्रत्यर्थी को कुछ मानसिक विकार के लिए उपचार दिया गया था जिसके लिए उसे दवा भी दी गई थी। वैधानिक अवधि के भीतर

अनुशासनात्मक प्राधिकारी के दिनांक 16 अप्रैल, 2003 के आदेश के खिलाफ अपील करने में हुई देरी के लिए प्रत्यर्थी द्वारा दावा किया गया कारण यह बीमारी थी।

11. यह भी उल्लेख करने योग्य है कि रेल मंत्रालय को प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, जिसमें शिकायत की गई थी कि प्रत्यर्थी को सेवा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा रही है, का उत्तर मंत्रालय ने 10 अक्टूबर, 2008 को एक पत्र द्वारा दिया, जिसमें प्रत्यर्थी को सूचित किया गया कि उसे 16 अप्रैल, 2003 के आदेश द्वारा सेवा (इयूटी) से हटा दिया गया था, तथा उसने निर्धारित अवधि के भीतर इसके विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की थी, इसलिए उसका पुनः सेवा में शामिल होना संभव नहीं था।

12. इस पृष्ठभूमि में, प्रत्यर्थी ने रेलवे सेवक (अनुशासनात्मक एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 25 के अंतर्गत दिनांक 12 मई, 2009 को पुनरीक्षण दायर किया। याचीगण इस पर विचार करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी को मू.अ. संख्या 182/2010 के तहत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस आवेदन का निपटान अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 29 अप्रैल, 2010 द्वारा निम्नानुसार निर्देशित करते हुए किया: -

"इसलिए, हमारा विचार है कि चूंकि लापता सरकारी कर्मचारियों के संबंध में नियम और निर्देश हैं, जिन्हें आक्षेपित आदेशों को पारित करते समय ध्यान में नहीं रखा गया है, प्रत्यर्थी को ऊपर उल्लिखित प्रस्तुतियों के साथ-साथ

मू.अ. में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अन्य आधारों के मद्देनजर आवेदक के पति के मामले पर पुनर्विचार करने दें और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर एक तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश द्वारा उसे सूचित करते हुए उस संबंध में आवेदक का अभ्यावेदन मानते हुए उसमें प्रार्थना पर निर्णय लें। मू.अ. का निपटान उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है। कोई जुर्माना नहीं।”

13. उपर्युक्त निर्देशों के मद्देनजर, अपीलीय प्राधिकारी ने 24 जुलाई, 2010 को एक आदेश पारित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह माना गया कि प्रत्यर्थी का चिकित्सा उपचार एक बाद का विचार था; कि 2 जुलाई, 2010 को व्यक्तिगत सुनवाई में, प्रत्यर्थी के व्यवहार में कुछ भी असामान्य नहीं था और उसकी मानसिक स्थिति सामान्य थी और प्रत्यर्थी के परिवार के सदस्यों को उसके पता ठिकाने के बारे में पता था, जिसे उन्होंने जानबूझकर प्रकट नहीं किया और प्रत्यर्थी का यह दावा कि वह लापता है, प्रामाणिक नहीं था। इसलिए, अपील को खारिज कर दिया गया और अनुशासनात्मक प्राधिकारी पर सेवा से हटाने का लगाया गया दंड अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बरकरार रखा गया।

14. इस आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी के पुनरीक्षण को भी 2 फरवरी, 2011 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इस आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी ने मू.अ. संख्या 4279/2011 दायर किया था, जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

15. हमने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलें सुनी हैं तथा अभिलेख की सावधानीपूर्वक जांच की है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी दिनांक 31 मई 1999 से अपनी इयूटी पर उपस्थित नहीं हो रहा था। याचीगण के पास पुलिस रिपोर्ट के साक्ष्य के साथ-साथ 23 और 27 दिसंबर, 2004 को पुलिस द्वारा पुष्टि भी थी कि प्रत्यर्थी का पता नहीं चल सका है। अधिकरण ने इयूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में 3 अप्रैल, 2002 को प्रत्यर्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय को मनमाना और जल्दबाजी वाला निर्णय पाया है। इसके अलावा, जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच कार्यवाही को एक औपचारिकता माना गया है, क्योंकि तार और पंजीकृत पत्र एक ऐसे व्यक्ति को भेजे जा रहे थे जो लापता था और निश्चित रूप से वह उस पते पर मौजूद नहीं था जिस पर उन्हें भेजा गया था। ये सभी पत्र-व्यवहार याचीगण को वापस कर दिए गए, जिन्होंने इसके बाद उन्हें उनके कार्यस्थल पर चिपका दिया।

16. अधिकरण ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 108 पर भरोसा करते हुए कहा है कि याचीगण प्रत्यर्थी के लापता होने के सात साल बीतने के बाद ही उसके खिलाफ अनुमान लगा सकते थे।

17. अधिकरण ने जांच कार्यवाही में भी त्रुटि पाई तथा कहा कि यह रेलवे सेवक (अनुशासनात्मक एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 18 के अनुरूप नहीं थी तथा प्रत्यर्थी के विरुद्ध कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाया गया। दो सूचीबद्ध

दस्तावेजों और चार सूचीबद्ध गवाहों के बावजूद, याचिकाकर्ता द्वारा कोई साक्ष्य अभिलिखित नहीं किया गया। *1994 (2) एससीसी 416 डॉ रमेश चंद्र त्यागी बनाम भारत संघ* में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है कि उचित नोटिस भेजे बिना की गई एकपक्षीय जांच एक अवैध जांच है।

18. हमें ऐसी कोई बात नहीं बताई गई है जिससे हम अधिकरण द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण अपना सकें। हमें 2 फरवरी, 2011 के आदेश को अभिखंडित करने वाले अधिकरण द्वारा पारित आदेश में; जांच अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 2 नवंबर, 2002; अनुशासनात्मक प्राधिकारी का आदेश दिनांक 16 अप्रैल, 2003; अपीलीय प्राधिकारी का आदेश दिनांक 24 जुलाई, 2010 तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी का आदेश दिनांक 2 फरवरी, 2011 में कोई त्रुटि नहीं मिली। इसलिए रिट याचिका खारिज की जाती है।

19. आपेक्षित आदेश के पैरा 15 में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रत्यर्थी की पत्नी उसे 27 अप्रैल, 2006 को याचीगण के पास लेकर आई और उनसे चिकित्सा उपचार कराने का अनुरोध किया। अधिकरण ने निर्देश दिया है कि सेवा (इयूटी) से हटाने के आदेश को अभिखंडित करने के मद्देनजर, प्रत्यर्थी को 8 जनवरी, 2010 को फिर से इयूटी पर शामिल माना जाएगा, जब मू.अ. संख्या 182/2010 दायर की गई थी और उसे उसी तारीख से उसके वेतन का भुगतान किया जाएगा। याचिकाकर्ता को निर्धारित अवधि के भीतर समयबद्ध निर्देशों का पालन करना होगा।

20. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी का कहना था कि वह अस्वस्थ है। अभिलेख पर मौजूद चिकित्सा प्रिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि प्रत्यर्थी भारी न्यूरोलॉजिकल दवाइयां ले रहा था। इसकी प्रामाणिकता पर टिप्पणी किए बिना, याचीगण प्रत्यर्थी की चिकित्सा जांच कराने के हकदार होंगे।

इस रिट याचिका का निपटान उपरोक्त शर्तों के तहत किया जाता है।

सि.वि सं.4301/2014

21. रिट याचिका में पारित आदेश के मद्देनजर, यह आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

(गीता मित्तल)
न्यायाधीश

(दीपा शर्मा)
न्यायाधीश

30 अप्रैल, 2014

एए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दोबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।